ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-10* November- 2017
Innovation The Research Concept

महिला अपराध (एक सामाजिक विकृति)

अन्जू
सहयुक्त आचार्य,
समाजशास्त्र विभाग,
दी0 द0 उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर

सारांश

आज समाज के हर क्षेत्र में महिलायें नजर आ रही हैं साथ ही देश और समाज की रक्षा पुलिस और सेना में भर्ती होकर बराबर का योगदान और सेवा कर रही है। परन्तु आज इन सबके बावजूद भी नारी को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त नही हुआ है और उसे अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा उसके विरूद्ध समाज में अपराध, दहेज, बलात्कार, हत्या जैसे अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और इन अपराधों में दिन व दिन बढ़ोत्तरी होती जा रही हैं। हम जिस गति से सामाजिक आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। उतनी ही गति से हमारे समाज में महिलाओं के प्रति अपराधों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं।

मुख्य शब्द : अपराध, बलात्कार, कानून।

प्रस्तावना

हम 20वीं सदी के भारत से आज आधुनिक इक्कसवीं सदी के भारत में प्रवेश कर गये हैं जहॉ पर महिलाएं घर की चाहर दीवारी में न रहकर पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। देश में प्रतिवर्ष महिलाओं के प्रति अपराधों के आंकड़े प्रकाशित होते है और उनसे स्पष्ट होता है कि अपराध, बलात्कार, गर्भपात, अश्लील विज्ञापन, दहेज एवं भ्रूण हत्या आदि मामले तेजी से बढ़ रहे है तथा इक्कीसवी सदी में इनकी गति में कमी आने की गुंजाईश प्रतीत नही होती है। हमारे समाज का सामाजिक ढंाचा अभी भी पूर्व की तरह ज्यों का त्यों है। आज भी हम पुराने परम्परागत कुरीतियों, रूढ़ियों, प्रथाओं एवं परम्पराओं से बाहर नही आ पाये हैं और महिलाओं का पैदा होना ही एक अभिशाप मानते हैं।

आज भी हमारे समाज में बाल विवाह, सती प्रथा, बहुविवाह, देवदासी प्रथा वैश्यावृत्ति जैसी बुराईयां विद्धमान हैं और खुले आम हजारों की संख्या में एक साथ बाल विवाह होते हैं हमारे समाज में शिक्षा की कमी, अधिकारों के प्रति जागरूकता न होने के कारण महिलाएं कानूनों का लाभ प्राप्त नही कर पाती है और अपराध सहती रहती हैं इसके लिये आवश्यक है कि वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहे और प्रत्येक बुराई का तीव्रता से विरोध करें एवं उन्हे प्रचलित संस्थाओं, मानव अधिकार आयोग, विधिक सेवा प्राधिकरण आदि का सहारा लेना चाहिये।

प्रायः सभी समाजों में कुछ ऐसे लोग पाये जाते हैं जिन्हें सामाजिक नियमों और कानूनों के विरूद्ध आचरण करने में आनन्द मिलता है। ऐसा करने से उनके भीतर समाज विरोधी प्रवृत्ति अंकुरित होने लगती है और कुछ समय बाद वे अपराधी व्यवहारों में लिप्त हो जाते है। जब कोई प्रौढ़ व्यक्ति नियमों का उल्लंघन कर समाज विरोधी व्यवहार करता है तो उसके आचरण को अपराध की संज्ञा दी जाती है।[1]

वर्तमान भारत का एक गम्भीर मुद्दा बलात्कार है। यह दिनो दिन बढ़ता ही जा रहा हैं 1983 से 1988 के बीच प्रत्येक 80 मिनट पर यानि प्रतिवर्ष लगभग 6570 बलात्कार के मामले आये। वही 1993 में प्रत्येक 54 मिनट में यानि प्रतिवर्ष लगभग 9825 बलात्कार हुए। 2012 में प्रत्येक 30 मिनट पर एक यानि पूरे वर्ष में लगभग 17520 बलात्कार हुये। ये आंकड़े समाज के लिये चिंताजनक है। आयु के हिसाब से बलात्कार के शिकार 16–30 वर्ष आयु समूह में सर्वाधिक लगभग 64 प्रतिशत है। दूसरे स्थान पर 10 से 16 वर्ष आयु समूह के लगभग 20.5 प्रतिशत है तीसरे स्थान पर 30 वर्ष से उपर 12.8 प्रतिशत है और चौथे स्थान पर 10 वर्ष से कम लगभग 2.6 प्रतिशत है।

अपराध का एक रूप 'यौन अपराध' का स्वरूप बलात्कार है। बलात्कार का अभिप्राय कामवासना से प्रेरित होकर ऐसी क्रिया, जो जानबूझकर धमका कर व बलपूर्वक स्त्री के साथ अस्वीकृत यौन सम्बन्ध, स्थापित करना है जिसके परिणाम स्वरूप स्त्री को आघात पहुँचा हो, उसके सम्मान को ठेस लगी हो या उसका विनाश हुआ हो तथा जिससे अपराधी दण्ड का भागी बने। इस रूप में बलात्कार एक ऐसा घिनौना कृत्य है जो मानवीयता के ह्रास का सूचक है। बलात्कार में अधिकांश 58 प्रतिशत एकल बलात्कार होते हैं जिसमें एक अपराधी होता है 21 प्रतिशत द्वय बलात्कार होते हैं जिनमें दो अपराधी होते है। और 21 प्रतिशत सामूहिक बलात्कार गैंग रेप होते हैं। 90 प्रतिशत बलात्कारों में किसी प्रकार का शारीरिक हिंसा व क्रूरता नही होती। महिला को वश में करने के लिये प्रलोभन या दबाव काम में लिये जाते हैं। 10 प्रतिशत में शारीरिक हिंसा व क्रूरता देखी जाती है 50 प्रतिशत मामलों मे पीड़ित महिला अपने हमलावर को पहचानी हुई होती है। जैसे रिस्तेदार, पड़ोसी, परिवार, मित्र, सहयोगी कर्मचारी, चिकित्सक, अध्यापक एवं प्रशासक आदि यद्यपि 60 प्रतिशत बलात्कार स्थितिजन्य होते हैं, लेकिन 40 प्रतिशत मामलों में यह नियोजित होता है अधिकतर मामलों में महिलाएँ बल प्रयोग का शिकार होती है।

कारण

विकृत मानसिकता जिसमें विकास में सुखवादी व भोगवादी प्रवृत्ति, नशीले पदार्थों का सेवन और उन्मुक्त्ता आदि का योगदान है, पितृ सत्तामक व्यवस्था, जेडर के प्रति सहिष्णुता, पारिवारिक दशाएं, भ्रष्टाचार आदि कारण बलात्कार जैसी घटनाओं को बढ़ावा देते हैं।

आंकड़े

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड की हालिया रिपोर्ट से उद्घाटित हुआ है कि महिलाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने के बावजूद भी 2014 में प्रतिदिन 100 महिलाओं का बलात्कार हुआ और 364 महिलाएं यौन शोषण का शिकार हुई, रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में केन्द्रशासित और राज्यों को मिलाकर कुल 36735 मामले दर्ज हुए। यह भी तथ्य उजागर हुआ कि हर वर्ष बलात्कार के मामले में वृद्धि हुई है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि महिला अत्याचार विरोधी कानून का खौफ नहीं है या यू कहे कि कानून का ईमानदारी से पालन नही हो रहा है।

आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2004 में बलात्कार के कुल 18233 मामले दर्ज हुए जबकि वर्ष 2009 में यह आंकड़ा बढ़कर 21397 हो गया इसी तरह वर्ष 2012 में 24923 मामले दर्ज किये गये और 2014 में यह संख्या 36735 हो गयी गौर करें तो 2014 का आंकड़ा वर्ष 2014 के मुकाबले दो गुनी है राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिये मध्यप्रदेश सबसे अधिक असुरक्षित राज्य के रूप में उभरा है। पिछले वर्ष यहॉ सबसे अधिक 5076 बलात्कार के मामले दर्ज किये गये इसी तरह राजस्थान में 375, उत्तर प्रदेश में 3467 महाराष्ट्र में 3438 और दिल्ली में 2096 बलात्कार के मामले दर्ज किये गये। 2014 में बिहार में बलात्कार के कुल 1127 मामले दर्ज हुए आमतौर पर बलात्कार के कारणों में अशिक्षा को भी जिम्मेदार माना जाता है लेकिन बिडम्बना है कि सम्पूर्ण साक्षरता के लिये जाना वाला राज्य केरल में भी महिलाएं सुरक्षित नही यहॉ पिछले वर्ष 1347 महिलाओं के साथ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया।

राजधानी दिल्ली में 16 दिसम्बर 2012 को हुई नृशंस सामूहिक बलात्कार की घटना के विरूद्ध राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित आक्रोश में दण्ड विधि (संशोधन) 2013 पारित किया गया और यह कानून 3 अप्रैल 2013 को देश में लागू हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया है कि तेजाबी हमला करने वालों को 10 वर्ष की सजा और बलात्कार के मामले में अगर पीड़ित महिला की मृत्यु हो जाती है तो बलात्कारी को न्यूनतम 20 वर्ष की सजा होगी, इसके साथ ही महिलाओं के विरूद्ध अपराध की एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों को दंडित का भी प्रावधान है इस कानून के मुताबिक महिलाओं का पीछा करने और घूर–घूर कर देखने को भी गैर जमानती अपराध घोषित किया है साथ ही 15 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ यौन सम्बन्ध बनाने को बलात्कार की श्रेणी में रखा गया है।[2]

घटनायें

दिल्ली गैंगरेप घटना के इकलौते चश्मदीद गवाह और पीड़िता के मित्र ने एक टी0वी0 चैनल पर अपराध और उसके बाद हुए घटनाक्रम को 28वर्षीय युवक ने अपने बयान में बताया कि उसकी मित्र के सामूहिक बलात्कार के बाद उसे लोहे की सरिया से पीटा गया और फिर उन्ही सरियों से उसका पेट फाड़ दिया गया उसका कहना था कि पहचान छुपाने के लिये उन्होंने हमसे हमारा पूरा सामान मोबाइल पर्स और कपड़े सब कुछ ले लिया, पूरे कपड़े उतरवा लिये थे और फिर हमें सड़क पर फेंक दिया था। उसके बाद उन्होंने बस से मेरी दोस्त को कुचलने की कोशिश भी की लेकिन मै उसे खींच कर किनोर ले आयां इस वीभत्स सामूहिक बलात्कार के बाद युवक का कहना था कि वह और उसकी मित्र खून से लथपथ सड़क पर पड़े हुये थे लेकिन 25 मिनट तक कोई भी उनकी मदद के लिये नही रूका।

16 दिसम्बर की रात हुए इस घटनाक्रम के बाद पीड़िता को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दाखिल करवाया गया था लगभग 15 दिन के संघर्ष के बाद उसने दम तोड़ दिया लेकिन हर दिन भारत के आम शहरों और कस्बों में होने वाली बलात्कार की सैकड़ों घटनाओं से देश की राजधानी मे हुऐ इस हिंसा के ताडंव ने शहरी मध्यवर्ग को झकझोर दिया।

देश में हैवानियत की हदे पार कर बलात्कार की घटनायें थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद सम्भल में चन्दौसी बनियाठेर के गांव श्याम सिंह की रहने वाली 14 वर्षीय छात्रा के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर गई और शव को खेत में फेक आरोपी फरार हो गये। दरिंदा की हैवानियत का शिकार हुई पीड़िता कक्षा आठ की छात्रा थी।

दिसम्बर में ठंड और कोहरे की वजह से प्रशासन ने अवकाश की जानकारी देने के लिय छात्र/छात्राओं को जनता इण्टर कालेज अकरौली के स्कूल में बुलाया था। जिसके लिये अंजू दिन शनिवार 29 दिसम्बर 2012 को

घर से चली। उस दिन भी घना कोहरा और ठंड थी। हमेंशा की तरह वह घर से पैदल निकली लेकिन अवकाश होने के कारण उस दिन और कोई स्कूल नही जा रहा था अंजू के गांव से अकरौली जनता इण्टर कालेज का रास्ता 6 किमी0 दूरी पर है जिसे पैदल तय करने में 45 मिनट लगता है। स्कूल के रास्ते में दो गॉव पड़ते हैं जिसमें जरगांव रेलवे स्टेशन और खेत पड़ते थे पूरा इलाका सूनसान था। गांव वालों का कहना है कि अक्सर रास्तें में कई मनचले गांव की लड़कियों पर अश्लील टिप्पड़िया करते थे। जिसकी शिकायत उनके परिवार वालों से भी की गई थी। जिसका कोई असर मंचलों पर नही पड़ा। जिसके चलते घटना वाले दिन मंचलों ने जब अकेली लड़की को आते देखा तो उनके अंदर हैवानियत का शैतान जग गया उन्होंने पीपली ओर सुकरौली के बीच सुनसान इलाके में लड़की को मौका देखकर जबरन ईख के खेत में खीच ले गये और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। अंजू ने जब उनके घर वालों से शिकायत करने की धमकी दी तो दरिंद्रों ने हैवानियत की सभी हदों को लाघते हुए छात्रा की उसके ही दुपट्टे से गला घोट हत्या कर दी और शव को खेत में ही छोड़कर भाग गये। लड़की के शाम तक घर न लौटकर आने पर उसके घरवालों ने उसे ढूढ़ना शुरू किया परन्तु लड़की का कही पता न चला। लड़की के लापता होने के चार दिन बाद 03 जनवरी 2013 को उसका शव ईख के खेत में पड़ा मिला। जिसे जंगली जानवरों ने क्षत–विक्षत कर दिया था।

सहारनपुर/मेरठ मे भी रिश्तों का दामन एक बार फिर से दागदार हुआ है। दो भाईयों ने अपनी बहन के साथ कई महीनों तक दुष्कर्म किया। इनमें से एक भाई उसे लेकर हरियाणा के यमुना नगर मे कुछ दिन रहा। पीड़िता ने उससे कई बार शादी करने को कहा तो वह उसे गांव वापस ले आया।[3]

महिलाओं के लिये बने कानून

भारतीय संविधान में महिलाओं के लिये विशेष कानून बनाये गये हैं– संविधान के अुच्छेद 14 में कानूनी समानता अनुच्छेद 15 (3) में जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव न करना, अनुच्छेद 16 (1) में लोकसेवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता, अनुच्छेद 19 (1) में समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में स्त्री एवं पुरूष दोनों को प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से वंचित न करना, अनुच्छेद 23–24 में शोषण के विरूद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त, अनुच्छेद 25–28 में धार्मिक स्वतंत्रता दानो को समान रूप से प्रदत्त, अनुच्छेद 29–30 में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 39 में पुरूषों एवं स्त्रियों दोनों को समान वेतन का अधिकार, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज संस्थाओं में 73 वें और 74 वें संविधान संशोधन के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था, अनुच्छेद 42 में महिलाओं हेतु प्रसूति सहायता पारित क व्यवस्था, अनुच्छेद 47 में पोषाहार जीवन स्तर एवं लोक स्वास्थ में सुधार करना सरकार का दायित्व है, अनुच्छेद 51 (क) (5) में भारत के सभी लोग ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हो, अनुच्छेद 33 (क) में प्रस्तावित 84 वे संविधान संशोधन के जरिये लोकसभा में महिलाओं के लिये आरक्षण की व्यवस्था, अनुच्छेद 332 में प्रस्तावित 84 वें संविधान संशोधन के जरिए राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिये आरक्षण की व्यवस्था है। गर्भावस्था में ही मादा भ्रूण को नष्ट करने के उद्देश्य से लिंग परीक्षण को रोकने हेतु प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 निर्मित कर क्रियान्वित किया गया। इसका उल्लंघन करने वालों को 10–15 हजार रूपये तक का जुर्माना तथा 3–5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। दहेज जैसे सामाजिक अभिशाप से महिला को बचाने के उद्देश्य से 1991 में दहेज निषेध अधिनियम' बनाकर क्रियान्वित किया गया। विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं के स्वास्थ्य लाभ के लिये प्रसूति अवकाश की विशेष व्यवस्था, संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुकूल करने के लिये 1961 में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत पूर्व में 90 दिनों का प्रसूति अवकाश मिलता था। अब 135 दिनों का अवकाश मिलने लगा है।[4]

भारतीय दंड सहिता कानून महिलाओं को एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है ताकि समाज में घटित होने वाले विभिन्न अपराधों से वे सुरक्षित रह सकें।

भारतीय दंड सहिता में महिलाओं को एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। ताकि समाज में घटित होने वाले विभिन्न अपराधों से वे सुरक्षित रह सकें।

भारतीय दंड सहिता में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों, अर्थात हत्या, आत्महत्या हेतु प्रेरण, दहेज, मृत्यु बलात्कार, अपहरण आदि को रोकने का प्रावधान है। उल्लंघन की स्थिति में गिरफ्तारी एवं न्यायिक दंड व्यवस्था का उल्लंख है–

भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थान पर बुरी–बुरी गालियां देना एवं अश्लील गाने आदि गाना जो कि सुनने पर बुरे लगे।

धारा 304 बी के अन्तर्गत किस महिला की मृत्यु उसका विवाह होने की दिनांक से 7 वर्ष की अवधि के अंदर उसके पति या पति से सम्बन्धित द्वारा दहेज सम्बन्धी मांग के कारण क्रूरता या प्रताड़ना के फलस्वरूप सामान्य परिस्थितियों के अलावा हुई हो, धारा 306 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा किये गये कार्य के फलस्वरूप की गई आत्महत्या, धारा 313 के अन्तर्गत महिला की इच्छा के विरूद्ध गर्भपात करवाना, धारा 314 के अन्तर्गत गर्भपात करने के उद्देश्य से किये गये कृत्य द्वारा महिला की मृत्यु हो जाना, धारा 315 के अन्तर्गत शिशु जन्म को रोकना, धारा 354 के अन्तर्गत महिला की लज्जा शीलता भंग करेन के लिये उसके साथ बल का प्रयोग करना, धारा 372 के अन्तर्गत वैश्यावृत्ति के लिये 18 वर्ष से कम आयु की बालिका को बेचना या भाड़े पर देना।[5]

निष्कर्ष एवं सुझाव

गांधी जी का कथन है–''मानवता पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि यह ऐसा सागर है जिसमें कुछ बूदे भले ही दूषित हो जाएं, समुद्र दूषित नहीं होता''

स्त्री जो सम्पूर्ण सृष्टि की सृजनकर्ता है, उसी के साथ पुरूष यौन शोषण व बलात्कार कर उसकी आत्मा का हनन कर रहा है। पुरूष को विचार करना होगा कि

एक स्त्री के बाद बलात्कार केवल उसकी शारीरिक या सामाजिक हानि ही नही है अपितु उसका सम्पूर्ण व्यक्तित्व व आत्मा और अस्तित्व पर एक अमिट व असहनीय मानसिक आत्मिक पीड़ा देकर उसे झकझोर कर रख दिया जाता है। दिन प्रतिदिन बढ़ती हुर्ठ बलात्कार की घटनाओं ने नारी को एक जीवित विसंगति बना दिया है। स्त्री जिस पुरूष को मां, बहन, या पत्नी प्रत्येक रूप में प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, ममता व समर्पण का सुख देती ळै वही पुरूष अपनी मानवीयता खोकर शोषित व पीड़ित कर उसे अपमानित करता है। ऐसा प्रतीत होता हैकि मनुष्य जितना सभ्य हुआ है, मानवता से उतना ही दूर होता जा रहा है। अपराधों को रोकने का एक ही उपाय है कि हमें महिलाओं के प्रति अपनी सोच बदलना होगा और उन्हें समाज में बराबर का हक मिलना चाहिये।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *सेक्सुअल हरेसमेट' गीताजंलि इण्डियन फमिनिजम्स लॉ पेटियार्कीज एण्ड वायलेंस इन इण्डिया 2007 आई0एस0बी0एन– 7546–4604।*
2. *राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों भारत महानगरों की साख्यिकी।*
3. *'क्राइम अर्लट' हिन्दी मासिक पत्रिका फरवरी 2013 पेज– 8–15।*
4. *महिलाओं से छेड़खानी के मामले में हत्या का आरोप'इण्डियन एक्सप्रेस सोमवार 27 जुलाई 2007।*
5. *दिल्ली बनाम '' महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले'' समय के प्रति एक दौड़, केतकी गोखले वॉल स्ट्रीट जर्नल 14 सितम्बर 2009।*